न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— विश्वजीत सिंह, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :— 53 / 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023 / 193

अनवान

1. नेनूराम पुत्र हीरा कुम्हार निवासी चावण्डखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. पन्ना पुत्र अमरा बैरवा निवासी चावण्डखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. झकमु पुत्री नाथु बैरवा निवासी चावण्डखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारायण पुत्र जयराम तेली निवासी (हरिपुरा) देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लच्छीराम पुत्र गोपीलाल तेली निवासी (हरिपुरा) देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 179, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. हरिशचन्द्र टेलर – वादी अधिवक्ता
2. विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांकः—25.02.2025

प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम गलवा पटवार मण्डल गलवा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1540 / 828 रकबा 0.43 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 182 पर दर्ज रेकार्ड होकर स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात के सटमा प्रतिवादीगण की आराजियात स्थित जिससे प्रतिवादीगण, वादी की आराजी संख्या 1540 / 828 रकबा 0.43 है0 मे से 0.09 है0 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा 0.11 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर मौके पर एक ही चक बना कर काबिज अवैध रूप से हो गये व कहा कि हमारी भुमि की सीमा यहा तक आती है इसलिए हमारे कब्जे मे रखेगें। वादी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट के तहत न्यायालय श्रीमान सहायक लैण्ड रिकॉर्ड अधिकारी रायपुर के यहाँ प्रस्तुत किया, उसमे न्यायालय द्वारा दिनाकः 28—06—2022 को पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान फरमाया गया है। पत्थरगढी आदेश को पालना मे दिनाक 24.03.2023 को पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक वादी की उक्त आराजी पर पत्थरगढ़ी की तो वादी की आराजी संख्या 1540 / 828 रकबा 0.43 है0 मे से 0.09 है0 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा 0.11 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 का अवैध कब्जा पाया गया है जो मुझ वादी की खातेदारी की ही पाई गई। अतः सादर प्रार्थना है कि कब्जेयाबी की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि वादी की खातेदारी अधिकारी की आराजी संख्या 1540 / 828 रकबा 0.43 है0 भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध कब्जा, अतिक्रमण को प्रतिवादीगण स्वयं हटाकर वादी को पुनः कब्जा सुपुर्द करें और नही करने पर न्यायालय के मार्फत प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादी को इसका कब्जा पुनः दिलाया जावे साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमियों पर किसी प्रकार का स्थाई व अस्थाई निर्माण नही करे ना ही अन्य

वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र को दोहराते हुए बताया कि वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया है जिसको पुनः वादीगण को कब्जा दिलाया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पांबद कराया जाने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने एवं वादी अधिवक्ता की बहस सुनने पर पाया कि वादी की खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 1540/828 रकबा 0.43 है0. भूमि दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादीगण वादी की आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है जो पत्थरगढ़ी के मौके पर्चे में स्पष्ट अंकन किया गया है। वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया है जो कब्जा वादी लेने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर काश्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गलवा पटवार मण्डल गलवा की आराजी संख्या 1540/828 रकबा 0.43 हेक्टर मे से 0.09 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं 0.11 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 द्वारा अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को दिलाया जावे साथ ही प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण की आराजी संख्या संख्या 1540/828 में किसी प्रकार का निमार्ण नही करे न ही वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार की दंखलदाजी करे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्वजीत सिह)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– विश्वजीत सिंह, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 53 / 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 193

अनवान

1. नेनूराम पुत्र हीरा कुम्हार निवासी चावण्डखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. पन्ना पुत्र अमरा बैरवा निवासी चावण्डखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. झकमु पुत्री नाथु बैरवा निवासी चावण्डखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारायण पुत्र जयराम तेली निवासी (हरिपुरा) देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लच्छीराम पुत्र गोपीलाल तेली निवासी (हरिपुरा) देवरिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 179, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गलवा पटवार मण्डल गलवा की आराजी संख्या 1540 / 828 रकबा 0.43 हेक्टर मे से 0.09 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं 0.11 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 द्वारा अवैध रूप से किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को दिलाया जावे साथ ही प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण की आराजी संख्या संख्या 1540 / 828 में किसी प्रकार का निमार्ण नही करे न ही वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार की दंखलदाजी करे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

डिक्री आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी की गई।

(विश्वजीत सिंह)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी